

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 23/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सा.का.नि. (अ) आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 454(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पहले परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की दशा में, जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए, समय-सीमा 24 मार्च, 2020 तक है।”।

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा.सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 28/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 454(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 63/2019-केंद्रीय कर, तारीख 12 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 907(अ) 12 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

